माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 686/12/एके0/MSU/2024–25 दिनांक : 26/07/24

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध विधि महाविद्यालय

विषय – शैक्षिक सत्र 2024–25 से विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेजेस वेलफ़ेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश दिनांक : 06.07.2024 द्वारा किये गये निवेदन के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया हेतु पत्र संख्या–599/12/एके0/MSU/2024–25, दिनांक : 11.07.2024 द्वारा पत्र निर्गत किया गया था। विश्वविद्यालय प्रवेश समिति की बैठक दिनांक : 23.07.2024 में एजेन्डा संख्या–03 के अन्तर्गत उल्लिखित कृत कार्यवाही के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रवेश समिति द्वारा उल्लिखित प्रकरण पर निम्नवत् निश्चय किया गया :–

"प्रवेश समिति उक्त तथ्यों से अवगत हुई। समिति द्वारा विचारोपरान्त निश्चय किया गया कि जब तक बी0सी0आई0 द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए स्नातक विधि पाठ्यक्रम हेतु अनुमति पत्र निर्गत नहीं कर दिया जाता है, तब तक उन महाविद्यालयों के स्नातक विधि पाठ्यक्रम में पंजीकरण तो कराया जाये किन्तु प्रवेश प्रक्रिया अनुमति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्पन्न करायी जाये। अन्यथा की स्थिति में प्रवेशित छात्रों द्वारा असहज स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे महाविद्यालय जिन्हें इस विश्वविद्यालय द्वारा विधि पाठ्यक्रम में अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है तथा विश्वविद्यालय की स्थापना उपरान्त उन्हें एक बार भी बी0सी0आई0 द्वारा अनुमति पत्र निर्गत नहीं किया गया है। ऐसे महाविद्यालयों में बी0सी0आई0 द्वारा अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही पंजीकरण एवं प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये।"

अतः प्रवेश समिति द्वारा किये गये उपरोक्त निश्चय के आलोक में अवगत करना है कि सम्बद्ध विधि महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए पंजीकरण कराया जायेगा, किन्तु प्रवेश प्रक्रिया बी0सी0आई0 से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही पूर्ण की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या–599/12/एके0/MSU/2024–25, दिनांक : 11.07.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. समन्वयक/सहायक समन्वयक प्रवेश।
02. उपकुलसचिव।
03. अधिकृत एजेंसी।
04. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव